संख्या-7/2026/319/सामान्य/47-का-4-2026

प्रेषक,

राजाराम द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 17 नवम्बर ,2026

विषयः- उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कार्मिकों को ए.सी.पी. का लाभ अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-15/10/94(2)-का-4-2013, दिनांक 13.02.2013 एवं संख्या-3/2015/1/3/2011-का-4-2015, दिनांक 15.05.2015 की व्यवस्थाओं के संबंध में विभिन्न स्तरों से की गयी जिज्ञासाओं के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15.05.2015 की व्यवस्थाओं को निम्नवत संशोधित/ स्पष्ट किया जाता है:-

(1) कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2016/1/3/2011-का-4-2016 दिनांक 20.06.2016 के माध्यम से उर्दू अनुवादक सह-कनिष्ठ सहायक संवर्ग के पुनर्गठन के उपरांत निर्धारित ढ़ांचे के लाभ के साथ ही उक्त संवर्ग के कार्मिकों को शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05.11.2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति होने पर 03 वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ क्रमशः 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य होगा।

(2) उर्दू अनुवादक सह-वरिष्ठ सहायक के पद कार्यरत कार्मिकों को उर्दू अनुवादक सह-कनिष्ठ लिपिक (उर्दू अनुवादक सह-कनिष्ठ सहायक) के पद पर नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की सेवा अथवा दिनांक 01.12.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4200/-शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05.11.2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निर्धारित अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति होने पर अनुमन्य होगा।

(3) उर्दू अनुवादक सह-प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत पद धारकों को उर्दू अनुवादक सह-कनिष्ठ सहायक के पद के संदर्भ में शासनादेश दिनांक 05.11.2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-(3) (ग) की व्यवस्थानुसार 26 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने अथवा दिनांक 01.12.2008, जो भी बाद में हों, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4200/- से अगला ग्रेड वेतन रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अंत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4600/- शासनादेश दिनांक 05.11.2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निर्धारित अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति होने पर अनुमन्य होगा।

(4) शासनादेश संख्या-65/16/वे0आ-2-1442/दस-04(एम)/2016दिनांक 20.12.2016 की व्यवस्थानुसार वर्तमान में लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में इस संशोधन के साथ देय रहेगी कि इसकी अनुमन्यता हेतु वर्तमान में प्रभावी संतोषजनक सेवाओं के मापदण्ड के स्थान पर सेवा का मापदण्ड वह होगा जो वेतन मैट्रिक्स में उस लेवल के पद के लिये पदोन्नति हेतु निर्धारित है जिस लेवल की प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय ए0सी0पी0 अनुमन्य किया जाना विचारणीय है।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-15/दस-2026, दिनांक 16/11/2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

राजाराम द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आजा से,

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अंत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।